दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ *वर्ष 57* ❑ *अंक-13* ❑ *दिल्ली* ❑ *अप्रैल 2019 (द्वितीय)* ❑ *मूल्य : 2 रु.*

दलितों के हृदय सम्राट–बाबा साहब और बाबूजी

अप्रैल महीने में 5 अप्रैल तथा 14 अप्रैल देश के दलित, शोषित, उपेक्षित लोगों के लिए खुशी और गर्व से भरी तारीखें हैं। या यूं कहें कि अप्रैल का यह पखवाड़ा उनके लिए खुशियों का पखवाड़ा है। 5 अप्रैल, 1908 को देश के उप–प्रधानमंत्री रहे, दलितों के मसीहा बाबू जगजीवन राम का बिहार के आरा जिले के चन्दवा गांव में जन्म हुआ था, जबकि दलितों के मुक्तिदाता बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले के महू में जन्म हुआ था। इसलिए ये दोनों दिन हमारे लिए पावन ऐतिहासिक दिन हैं जब हमारे इन दो महापुरुषों ने जन्म लेकर अछूतों (दलितों) को सदियों की गुलामी से छुटकारा दिलाकर 'आजादी' की हवा में जीना सिखाया। बाबू जी और बाबा साहब दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं, मुक्तिदाता हैं, मार्गदर्शक हैं। हमें उन पर स्वाभिमान होना चाहिए। वे हमारे चन्दा–सूरज हैं। हमें कभी भी उनकी तुलना करके किसी को छोटा या बड़ा बताने का कुकर्त्य, दुष्कर्म, दुस्साहस नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों का अपनी–अपनी जगह पर अछूत–दलितों को गुलामी की जिन्दगी से छुटकारा दिलाने में अभूतपूर्व योगदान रहा है। दोनों को अपने बचपन से ही छुआछूत, अपमान, भेद–भाव, ऊंच–नीच, अत्याचार, उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने इस सामाजिक अन्याय के सामने घुटने टेकने की जगह, इसका डटकर मुकाबला किया और अपने दलित समाज के लोगों को इस सामाजिक विषमताओं से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें उन्होंने विजय पाई और दलितों को उनके समता, स्वतंत्रता, सम्मान और न्याय के अधिकार दिलवाये।

बाबू जगजीवनराम

देश की राजनीति में 50 वर्षों तक सूर्य की तरह चमकने वाले बाबू जगजीवन राम अपनी कड़ी मेहनत, संगठन शक्ति, कुशाग्र बुद्धि, प्रशासनिक क्षमता और कुशल नेतृत्व के कारण एक साधारण अछूत (दलित) परिवार से उठकर भारत के उप–प्रधानमंत्री बने। कांग्रेसी नेता पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1936 में बनी पहली अन्तरिम सरकार में दलितों के प्रतिनिधित्व के रूप में उन्हें मंत्री बनाया गया था। बाबूजी ने अंग्रेजी हुकुमत के खिलाफ देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था और इसके लिए वह कई बार जेल भी गये थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पं. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में बनी सरकार में बाबूजी को श्रममंत्री बनाया गया। वे लगातार 33 वर्षों तक देश में कृषिमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, खाद्य मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री रहे और अपने कुशल नेतृत्व प्रशासनिक क्षमता के बल पर सभी पदों पर सफल रहते हुए देश की प्रगति को आगे बढ़ाया। देश में 'हरित क्रांति' व 'धवल क्रांति' का श्रेय बाबूजी को जाता है जब उन्होंने कृषि का उत्पादन बढ़ाकर देश को भुखमरी से छुटकारा दिलाया और दूध की कमी को पूरा कर दिखाया। 1971 में रक्षामंत्री रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा और इसमें विजय प्राप्ति के साथ बंग्लादेश के रूप में एक नये राष्ट्र का जन्म हुआ। पाकिस्तानी फौजों को परास्त कर उसके एक लाख सैनिकों को कैदी बनाने का श्रेय बाबूजी के कुशल नेतृत्व का ही कमाल था।

बाबू जगजीवन राम जी प्रारम्भ से ही महात्मा गांधी से जुड़े थे, इसलिए गांधी ने उन्हें अछूतोद्धार कार्यक्रमों के लिए हरिजन सेवक संघ का उत्तर–दायित्व दिया। इसके साथ ही भारतीय दलित वर्ग संघ और अ.भा. रविदास महासभा के माध्यम से भी बाबूजी ने दलितों के उत्थान के लिए और उनमें चेतना जाग्रत करने का महान कार्य किया।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने जिस भारतीय संविधान का निर्माण किया, उसे 26 जनवरी, 1950 को देश में लागू किया गया। उसके 6 वर्ष बाद 6 दिसम्बर, 1956 को उनका देहावसान हो गया। उसके बाद 6 जुलाई, 1986 तक बाबू जगजीवन राम जीवित रहे, इस अवधि में बाबूजी ने न केवल बाबा साहब डा. अम्बेडकर के अधूरे कार्यों को पूरा किया, अपितु भारतीय संविधान के द्वारा दिये दलितों को समता, स्वतंत्रता, बन्धुता, न्याय के अधिकारों को सरकार के विभिन्न पदों पर रहते हुए पूरा कराया।

बाबूजी ने 1956 में देश में छुआछूत विरोधी कानून बनाकर दलितों पर होने वाले अमानवीय अत्याचारों को समाप्त करने का कार्य किया। 1975 में दलितों के लिए आवासीय व कृषि भूमि के पट्टे देने का कार्य किया। बाबूजी ने दलितों को नौकरियों में आरक्षण के साथ–साथ पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था कराई। उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे में दलितों की सीधी भर्ती कराई, और छुआछूत व भेदभाव मिटाने के लिए रेलवे के प्रत्येक स्टेशन पर पानी पिलाने के लिए एक

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सम्पादकीय

दलित थिंकर्स और लोकसभा चुनाव

दलितों के हितों, कल्याण, उत्थान और विकास की चिन्ता करने वाले दलित साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, कलाकार, समाजसेवी, नेता, वक्ता, चिन्तक दलित थिकंर्स हैं। आज देश में दलितों के जीवन को बदलने के लिए चिन्तन के साथ–साथ जो उन्हें समाज में समता, स्वतंत्रता, सौहार्दता, न्याय, सुरक्षा के मौलिक संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए सक्रिय होकर कार्यरत हैं उनके लिए पांच साल बाद आने वाला लोकसभा चुनाव एक ऐसा अवसर है जब वे अपने विचार, कल्पना, सोच को अपने वोट का सही इस्तेमाल कर, अपना मनवांछित प्रतिनिधि चुनकर, अपनी मन माफिक सरकार बनवाकर साकार कर सकते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब हम वर्तमान सरकार को चुनाव वायदों (इलेक्शन मेनीफेस्टों) को सामने रखकर उससे पिछले पांच साल के कामों का ब्यौरा मांग सकते हैं और उनके इसमें नाकाम रहने पर उसके चुनावी जुमलों के लिए उसका बायकाट कर सकते हैं। उसे चुनाव में हराकर उसके चुनाव–वायदा खिलाफी के अपराध में सजा भी दे सकते हैं और फिर अपने मनमाफिक नये नुमायन्दे चुनकर ऐसी नई सरकार बनवा सकते हैं जो अगले पांच सालों में अपने वायदे तो पूरा करें ही, साथ ही दलित शोषित, उपेक्षित, पिछड़ों के उत्थान को प्राथमिकता देकर कार्य करे।

पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वायदा किया था कि जो काम कांग्रेस गत 55 सालों में न कर सकी, अवसर मिलने पर वह केवल 5 साल में देश की दशा बदल कर देगी। उसने प्रधानमंत्री मंत्री के तौर पर नरेन्द्र मोदी को प्रस्तुत कर उसे 'चायवाला' कहकर उसका दलित, शोषित, पिछड़ों और गरीबों का प्रतिनिधि प्रचारित किया। भाजपा ने चुनाव में वायदा किया कि उनकी पार्टी चुनाव में जीतकर नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही उनकी सरकार विदेशों से कालाधन वापस लायेगी, हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करायेगी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करायेगी, देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी, महंगाई को मिटाएगी। शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा मुहैया कराई जायेगी। 'सबका साथ सबका विकास' उसका मुख्य ध्येय है। इससे जल्दी ही अच्छे दिन आयेंगे, और लोग सुख, शान्ति और समृद्धि के साथ जीवन यापन करेंगे।

भाजपा के इन चुनावी वायदों को सच्चा मानकर हमने भी भाजपा को बहुमत से जिताने के लिए अपने दलित समाज से अपील करते हुए कहा था कि डरे नहीं, न भाजपा भेड़िया है और न मोदी काला नाग। उस 2014 के लोकसभा चुनाव में दलित–शोषित–पिछड़े–अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर एक थोकभाव से भाजपा को वोट दिया, जिससे वह अपने घटक दलों के साथ पूर्ण बहुमत से जीत गई। फिर उसने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर पहली बार भारी बहुमत वाली भाजपा सरकार बनाई। देश की जनता को आशा थी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबी देखी है दुःखदर्द सहे हैं, ऊंचनीच का भेदभाव देखा है, इसलिए उनके नेतृत्व में देश और समाज में बदलाव आयेगा। 2014 में देश में भाजपा सरकार बनते ही सम्प्रदायिकता का उन्माद एकदम उभरने लगा। हिन्दुवाद एकदम उभरकर सामने आ गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस), बजरंग दल, हिन्दूरक्षा वाहिनी, गोरक्षा दल का हिन्दू एजेन्डा जो कांग्रेस शासन में दबा पड़ा था, एक दम समाज में हिन्दू–मुस्लमान, दलित सवर्ण, नीच–ऊंच, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद भेदभाव के रूप में दिखाई

(शेष पृष्ठ 2 पर)

डा. अम्बेडकर अवार्डों की घोषणा

भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने बाबा साहब डा. अम्बेडकर की 128वीं जयन्ती के शुभावसर पर डा. अम्बेडकर अवार्डों की घोषणा की है। अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर के अनुसार इस वर्ष 2019 का **डा. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय अवार्डों** के लिए नेपाल के दलित नेता, पत्रकार, समाजसेवक श्री चन्द्रकुमार गदाल तथा युनाईटेड अरब अमीरात (यू.ए.ई.) में शिक्षा शास्त्री और समाज सेवक श्री एस. जे. जकोब का चयन किया गया है। श्री चन्द्रकुमार गदाल नेपाल के दलित नेता हैं जो छुआछूत को दण्डनीय करार दिलाने के लिए नेपाल में आन्दोलन करते रहे हैं और नेपाल राष्ट्र के संविधान में दलितों को समता, स्वतंत्रता, न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। वहीं यू.ए.ई. में अल अमीर इंगलिश स्कूल के प्रिंसिपल श्री एस.जे. जकोब विदेशों में सामाजिक समता और बन्धुता को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और भारत–यू.ए.ई. के बीच मैत्री सम्बन्धों को और मजबूत करने में लगे हैं।

डा. सुमनाक्षर ने बताया कि इस वर्ष 2019 के **डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय अवार्डों** के लिए दलितोत्थान के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले इन दस महानुभावों का चयन किया गया है।

<u>दलित साहित्य के लिए</u>

1. **प्रो. (डा.) कमलेश कुमारी 'रवि'**
   दलित साहित्यकार
   आगरा (उत्तर प्रदेश)
2. **श्री प्रेमदास जस्सल**
   दलित साहित्यकार–दिल्ली
3. **डा. सी.पी. देसी**
   दलित साहित्यकार
   तमिलनाडु

<u>दलित मीडिया के लिए</u>

1. **डा. उदय धाबर्डे**
   प्लास्टिक सर्जन
   लॉर्ड बुद्धा टी.वी. के प्रमोटर,
   दुर्ग (छत्तीसगढ़)

<u>सामाजिक न्याय के लिए</u>

1. **डा. देवी सिंह अशोक, आई.पी.एस.**
   पूर्व डी.आई.जी. (उत्तर प्रदेश)

<u>दलितोत्थान – समाज सेवा के लिए</u>

1. **प्रो. महन्त आत्माराम उपाध्याय**
   जोधपुर (राजस्थान)
2. **प्रो. (डा.) महेश प्रसाद अहिरवार**
   बी.एच.यू. वाराणसी (उ.प्र.)
3. **डा. एस.जी. ओहल**
   नासिक (महाराष्ट्र)
4. **श्री सुन्दरलाल आर्य**
   कोटद्वार (उत्तराखण्ड)
5. **श्री आर.के. पोरिया**
   पूर्व एक्साइज कश्मिनर
   (डी.ई.सी.), सोनीपत (हरियाणा)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सुमनाक्षर ने बताया कि अकादमी के 35वें राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन, नई दिल्ली में उपरोक्त महानुभावों को पुरस्कार में शाल, शील्ड, प्रशस्ति–पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा। •

रोजगार की चुनौती

• संजय ठाकुर

भारत में बेरोजगारी की मौजूदा दर पिछले पैंतालीस वर्षों में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार यह दर 6.1 फीसद है जो कि वर्ष 1972–73 के बाद सबसे ज्यादा है। वर्ष 2011–12 में यह सिर्फ 2.2 फीसद थी। केंद्र सरकार ने एक वर्ष पहले रोजगार से संबंधित सर्वेक्षण नहीं करवाए जाने की बात कही थी। इसके बाद जब सर्वेक्षण करवाया गया तो रोजगार की बुरी स्थिति सामने आई और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद भी सरकार ने इसे जारी नहीं किया। रोजगार के आंकड़े जारी नहीं किए जाने के विरोध–स्वरूप आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पी.सी. मोहनन और सदस्य जे.वी. मीनाक्षी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं होने से सरकार पर पहले से ही लगातार सवाल उठ रहे थे कि भारत में रोजगार की स्थिति जानने के लिए सर्वेक्षण क्यों नहीं करवाया जा रहा है। इसका सीधा–सा अर्थ यही निकलता है कि सरकार देश में रोजगार और बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति से संबंधित तथ्यों को सामने लाने से बच रही थी।

एनएसएसओ की रिपोर्ट में इस बात को भी उजागर किया गया है कि बेरोजगारी में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है जो तेरह से सत्ताईस फीसद है। ज्यादातर बेरोजगार शहरी क्षेत्रों में हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी की दर 7.8 फीसद है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 5.3 फीसद है। शहरी क्षेत्रों में पंद्रह से 29 वर्ष के आयु–वर्ग में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। शहरों में इस आयु–वर्ग के 18.7 फीसद युवक और 27.2 फीसद युवतियां हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 17.4 फीसद युवक और 13.6 फीसद युवतियां बेरोजगार हैं। यह समस्या तब और भी विकट हो जाती है जब हर महीने लगभग दस लाख नए रोजगार की जरूरत पड़ती है और इसकी तुलना में रोजगार–सृजन न के बराबर ही हो रहा है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि देश के लगभग 70 फीसद घरों में नियमित वेतन या आय का कोई साधन नहीं है।

इस रिपोर्ट से एक नतीजा यह निकलता है कि लघु व मध्यम दर्जे के उद्योग पूरी तरह से उपेक्षित हैं। इनकी हालत अच्छी नहीं है। ये उद्योग लगभग चालीस फीसद लोगों को रोजगार दे रहे हैं। भारत में निर्मित सामान में इनका हिस्सा पैंतालीस फीसद और कुल निर्यात में चालीस फीसद है। कोई भी सहायक सरकारी नीति न होने से इन उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। सरकार की वित्तीय नीतियां भी बड़ी कंपनियों पर ही केंद्रित होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी इन छोटे उद्योगों को कर्ज देने की बजाय बड़ी कंपनियों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से छोटे उद्यमों को अपने उत्पादों को बाजार में बेचना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकारी उपेक्षा के शिकार इन उद्योगों की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं और इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ता है।

लगभग चार से पांच करोड़ कामगार अभी भी भारत के असंगठित व अनौपचारिक उपक्रमों में कार्यरत हैं। इनमें ज्यादा संख्या किसानों की है। संगठित उपक्रमों में रोजगार के बहुत कम अवसर होने से अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्रों का महत्व और बढ़ जाता है। संगठित उपक्रमों में अतिरिक्त श्रम बल के समायोजन की क्षमता अत्यंत सीमित होती है। संगठित उपक्रमों में विकास को विशेषकर स्थानीय नीतियां प्रभावित करती हैं। छोटे संगठित क्षेत्रों को कौशल रहित लोगों को रोजगार देना नकदी अभिदान आदि जैसी विवशताओं से पार पाना मुश्किल हो जाता है जिस कारण ऐसे उद्यमों का चल पाना खटाई में पड़ जाता है।

यों तो देश में गरीबी उन्मूलन और रोजगार–सृजन के लिए सरकार ने बहुत से कार्यक्रम चलाये हैं, लेकिन सही क्रियान्वयन के अभाव में ये कार्यक्रम कागजों में योजनाओं और नीतियों के रूप में ही दर्ज रह जाते हैं और गरीबी हटाने, गरीबों की आय बढ़ाने, नए रोजगार पैदा करने, उतपादक–परिसंपत्तियां बनाने और तकनीक व उद्यमिता से संबंधित कौशल बढ़ाने में इनका कोई योगदान नहीं हो पाता। ये योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को रोजगार देने और इनके स्वरोजगार पर लक्षित हैं, लेकिन सरकार व संबंधित प्रशासन द्वारा सही तरह से कार्यरूप न दिए जाने से लोग इनका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। यह एक विडंबना ही है कि गरीबी हटाने और रोजगार बढ़ाने के लिए बनाई गई योजनाएं न तो गरीबी हटा पाती हैं और न ही रोजगार सृजन में इनका कोई बड़ा योगदान होता है।

देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी से यह स्पष्ट है कि गरीबी–उन्मूलन और रोजगार–सृजन पर केंद्रित योजनाएं वास्तविक उद्देश्य से बुरी तरह पिछड़ी हुई हैं। इनके क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े होते हैं जिनके प्रति सरकार जवाबदेह है। इन योजनाओं के प्रति बरती गई लापरवाही बेरोजगारी को लेकर सरकार के नकारात्मक दृष्टिकोण को ही उजागर करती है। योजनाओं का आंर लगा देने भर से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। रोजगार से संबंधित किसी एक योजना के सही क्रियान्वयन से भी निश्चित ही रोजगार के क्षेत्र में उत्साहजनक परिणाम निकल सकते हैं।

कौशल को बढ़ाकर उनकी उत्पादकता और आय में सुधार लाया जा सके। प्रशिक्षण के क्षेत्र में केंद्र व राज्यों की सरकारों और गैर–सरकारी संगठनों के बीच तालमेल और पारदर्शिता लाने की जरूरत है। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि निर्यात करने वाले बड़े, लघु व मध्यम दर्जे के और कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग करने वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इससे गांवों और कस्बाई क्षेत्रों के युवाओं को भी रोजगार के लाभ से जोड़ा जा सकेगा। •

सम्पदकीय का शेष....दलित थिंकर्स और लोकसभा चुनाव

देने लगा जिसने भी इसका विरोध किया उसे हिन्दुवादी भीड़तंत्र का शिकार होना पड़ा। लोगों को हिन्दू–मुस्लमान में बांटा जाने लगा, गौ और गोमांस के नाम पर लोगों के साथ अपमान, प्रताड़ना, मारपीट, बेइज्जती की गई और अनेकों को तो सीधा मौत के घाट उतार दिया, जिन लेखकों, पत्रकारों, सम्पादकों ने इनके इस अमानवीय दुर्व्यवहार के विरुद्ध लिखा, उनपर हमला करके मार दिया गया। पत्रकार गौरीलंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिक्षण संस्थानों–कालेज व विश्वविद्यालयों में जिन छात्रों ने उनके कुकर्मों की अवहेलना व आलोचना की, उनके साथ मारपीट की, उनके खिलाफ थानों में झूठी रिपोर्ट लिखकर उन्हें शिक्षण संस्थानों से निकाल दिया गया। दलित छात्र रोहित वेमूला, को जो हैदराबाद विश्वविद्यालय का छात्र था, अपमान को सहते हुए आत्महत्या करनी पड़ी। जे.एन.यू. में छात्र परिषद् के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उसके साथियों पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल में बंद किया गया। इससे भाजपा की मोदी सरकार से देश में भय, असहिष्णुता, असुरक्षा का वातावरण बन गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने तो प्रैस कान्फ्रेस करके स्पष्ट कहा कि देश में भारतीय संविधान खतरे में है।

भाजपा की मोदी सरकार आने पर देश के दलितों को आशा थी कि वह जातपांत, छुआछूत, ऊंचनीच, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था को खत्म करेगी और उन्हें समाज में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय दिलायेगी। उनके नौकरी के आरक्षण कोटे को पूरा करेगी और आरक्षण के 'बेकलॉग' को भरेगी। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित बकाया 'कम्पोनेन्ट प्लान' की धनराशि को वह उनके विकास व कल्याण पर खर्च करेगी। केन्द्र को मोदी की भाजपा सरकार ने दलितों के इन मुद्दों पर ध्यान देने की अपेक्षा उसने आरक्षण कोटे के पदों को ही सरकारी विभागों को प्राईवेट कम्पनियों को दे दिये जाने के कारण खत्म कर दिया, शिक्षा संस्थानों में अध्यापकों की भरती में 13 पाईंट रोस्टर लगाकर आरक्षित पदों को खत्म करने का प्रयास किया, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निरोधक एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया गया। दलितों को न रोजगार मिला, न उनके बैंक खातों में 15 लाख रुपये आये, न महंगाई खत्म हुई, न भ्रष्टाचार मिटा, न विदेश से कालाधन वापस आया। ऊना (गुजरात) में मरी गऊ की खाल उतारने वाले 5 दलित युवकों को 'गौरक्षा' के नाम पर मारपीट कर उन्हें अधमरा कर दिया गया। नोटबन्दी और जीएसटी लागू किये जाने से दलित बेरोजगार हो गये। कल–कारखाने बंद हो जाने के कारण वे बेकार हो गये जिससे उनके परिवार में दो जून का खाना मिलना भी मुश्किल हो गया। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय महंगा होने के कारण उनका जीवन और नरकीय हो गया। गांव में उनकी महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं, दलित युवकों की जिन्दगी सुरक्षित नहीं, दलितों का जीवन इतना भयभीत है कि वह गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं। आज पढ़–लिखकर पूर्ण शिक्षित होने पर भी दलित युवकों से नौकरी के अभाव में दर–दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं।

आज देश का वातावरण विषाक्त है। सड़कों पर चलते हुए, गांव में रहते हुए लोग भयभीत हैं। भाजपा की साम्प्रदायिक राजनीति ने धर्म, जाति, भाषा, वेशभूषा, प्रदेश के आधार बांटकर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वह दुबारा लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए नये–नये जुमले, नारे, आश्वासन गढ़ रही है। पिछले चुनावी वायदों के विषय में पूछने पर वह निरूत्तर हो जाती है। पिछले पांच साल में किये गये जन कल्याण कार्यों का हिसाब मांगने वालों को वह देश द्रोही कहकर चुप करा देती हैं। कोई अगर उसका लगातार विरोध करता है तो उसे सी. बी.आई., ई.डी, पुलिस का डर दिखाकर उसका मुंह बंद करने का प्रयास किया जाता है। अपने पांच साल के शासनकाल में कोई ठोस कार्य करने की जगह नरेन्द्र मोदी की भाजपा सरकार न्यायालयों, शिक्षण संस्थानों, सी.बी.आई., आर.बी.आई, आदि संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने में जुटी रही और अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए इनका खुलकर दुरुपयोग किया। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा न तो अपने पुराने वादों के मुद्दों पर लड़ना चाहती है और न अपने शासनकाल के 5 सालों के कामों को दर्शा कर चुनाव लड़ रही है। वह इस चुनाव को देश की सेना के पाकिस्तान पर किये सर्जिकल स्ट्राईक की कामयाबी को अपने कन्धों पर रखकर लड़ रही है और दिखाना चाहती है कि देश की सुरक्षा केवल केवल मोदी सरकार कर सकती है। वह कोई रचनात्मक कार्य सामने न रखकर सिर्फ 'राष्ट्रवाद' को आगे रखकर लड़ रही है।

दलित समाज आज मूक समाज नहीं रह गया है। आज उसका हर युवक विवेकशील है। वह आज जानता है कि कौन उसका मित्र है और कौन दुश्मन है। कौन उसके लिए सब्जबाग दिखाकर आंसू बहाता है और कौन उनके जीवन में सही मायने में बदलाव ला सकता है। आज वह राजनीति के जुमलेबाजों को जान गया है और अब उनके झूठे झांसों में नहीं आने वाला। वह अब 'वोट' की कीमत क्या है, और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाये, इस विषय में वह अच्छी तरह समझता है। वह यह भी जानता है कि अगर दलित समाज बिखरा रहा, और भाजपा के झूठे जुमलों में फंसकर उसे जिता गया तो भविष्य में उसे वे मानवीय संवैधानिक अधिकार नहीं मिल सकेंगे, जो अथक प्रयासों से बाबा साहब डा. अम्बेडकर उन्हें संविधान के माध्यम से दे गये हैं।

आज सोशिल मीडिया पर दलित थिंकर्स छाये रहते हैं और दलितोत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उसे देखकर लगता है कि हमारे दलित थिंकर न केवल वे अपने विकास के लिए सोचते हैं वहीं वे अपने मूक दलितों को जगाने में लगे हैं। इसलिए हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि अगर हमारे दलित थिंकर ने सजगता व एकता के साथ कार्य किया तो वह इस लोकसभा चुनाव की दिशा बदल देगा, और नई सरकार में नया प्रधानमंत्री देगा, जो देश के साथ–साथ भारतीय संविधान को और सुदृढ़ता और सुरक्षा देगा। •

– डा. सुमनाक्षर

आधुनिक युग के पैगम्बर–पेरियार ई.वी. रामास्वामी

• ईश्वर सिंह

ई.वी. रामास्वामी का जन्म 17 सितम्बर 1879 को इरादे नगर (तमिलनाडु) के एक समृद्ध व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता वेंकट सनप्पा के पूर्वज विजय नगर साम्राज्य से कई सदी पूर्व कर्नाटक में आकर बस गए थे। ये कन्नडिका जाति के थे, जो बाद में नायकर कहलाए। इनकी माता का नाम चिन्नामयाई अमाल था। पालन पोषण इनकी नानी की देख–रेख में हुआ था। ये सदैव आसपास के परिवार में घूमते रहते थे। नानी के यहां घूमने फिरने की इनको आजादी थी। ये गरीब तथा अछूतों के घर पर भी चले जाते थे। उस समय तत्कालीन सामाजिक नियमों के विपरीत था जब इनके पिता को पता चला तो वे इन्हें अपने साथ ले गए। इनका घूमना–फिरना फिर भी जारी रहा। कड़े नियंत्रण के बाद इनको स्कूल में डाल दिया गया, परन्तु पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिलने पर 10 वर्ष की आयु में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी तथा अपने व्यवसाय में ही सफलता मिली। 19 वर्ष की आयु में ही रामास्वामी जी की शादी नागमाई से हुई, जो उस समय 13 वर्ष की थी।

1920 में रामास्वामी कांग्रेस के मंत्री जातिगत हो गया। ब्राह्मणों में सभी अधिकार केंद्रित हो गए। शूद्रों व अछूतों, गरीबों की जनसंख्या 93 प्रतिशत थी, जिन्हें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। क्षत्रियों व वैश्यों की जनसंख्या की व्यवसायों तक ही सीमित थी। उत्तरी भारत में मुस्लिम आक्रमणों व राज्य के कारण ब्राह्मणों का पारंपरिक अधिकार क्षीण व सीमित हो गया था। सामाजिक असमानता तो थी ही, परन्तु ये ब्राह्मण वर्ग कुछ कर पाने में असमर्थ थे। परन्तु दक्षिण भारत में उसके वीभत्स रूप के अभ्यता, यानि अछूतों का एक निश्चित दूरी पर जाने और अस्पृश्यता अथवा उन पर नजर पड़ जाने से ब्राह्मणों के छू जाने का प्रचलन भी जोरों पर था। यहां तक कि तमिल जैसे समृद्धि भाषा के रहते मंदिरों की पूजा–अर्चना में संस्कृत के मंत्रों का उपयोग होता था और गैर ब्राह्मण उपासकों का मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश वर्जित था। मंदिरों के पुजारी ब्राह्मण होते थे। संस्कृत तथा अंग्रेजी की भाषा का एकाधिकार था। सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। ब्राह्मणों की जनसंख्या केवल तीन प्रतिशत तथा उनका हिस्सा नौकरियों में 80 से 85 प्रतिशत तक था। नौकरियों में ब्राह्मणों जागृत करना, धर्म व ईश्वर के नाम पर चल रहे पुरोहितों के शोषण को समाप्त करना। 'स्व–सम्मान आंदोलन' का मुख्य उद्देश्य जातिविहीन समाज का निर्माण करना तथा उसकी प्राप्ति के लिए यह जाति और उससे सम्बद्ध संस्थाएं यानि धर्म रीतिरिवाज और परम्पराओं की आलोचना करना है। इस प्रकार ये आंदोलन पूर्णरूपेण ईश्वर विरोधी व ब्राह्मण विरोधी माना गया, क्योंकि समाज में असमानता, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, धर्मवाद, आडंबरवाद सभी इन्हीं के आधार पर तथा इन्हीं के द्वारा किया जाता है।

पेरियार धर्म को बुराई और अन्याय की जड़ मानते थे। ब्राह्मण इसका उपयोग अपना प्रभुत्व कायम करने में करते थे। उनकी राय है कि उसे हटाकर उसके स्थान पर बुद्धिवाद को स्थापित करना चाहिए, जिसमें उनका अत्याधिक विश्वास है।

स्व–सम्मान आंदोलन कई तत्वों का मिला–जुला परिणाम है जिनमें निम्न बातें मुख्य हैं।

1. यह आंदोलन जातिवाद, धर्मवाद तथा ईश्वरवाद को समाप्त करता है।

10. इसने तमिल प्रदेश और संस्कृति को राजनैतिक और सामाजिक आयाम दिया है।

पेरियार के स्व–सम्मान आंदोलन को प्रो. अरूरन के नंबी ने चार चरणों में बांटा है।

1. प्रथम चरण – सन् 1925 से 1929 के दौरान पेरियार ने अंधविश्वासों और पुरानी रीतिरिवाजों के उन्मूलन पर अधिक जोर दिया।

2. द्वितीय चरण – 1929–1931 के दौरान पेरियार को प्रहार जाति व धर्म पर केन्द्रित रहा।

3. तीसरा चरण – 1932 से 1935 तक रहा। पेरियार के 1932 में यूरोप से लौटने पर प्रारंभ होता है। इस काल में आर्थिक मुद्दों पर बल दिया जैसे रेल, बैंक और जहाज का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत ऋणों की समाप्ति इत्यादि रहा था। इससे समाजवाद झलकता है।

4. चौथा चरण–सन् 1935 से 1944 तक चला था। इस काल में जस्टिस पार्टी से जुड़ा था। 1938 में वे जेल गए। 1944 में पेरियार व उनके सहयोगियों ने 'द्रविड़ कडगम पार्टी' की स्थापना की थी। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि सभी सदस्य सरकारी राजनीतिक क्षेत्र में खूब प्रभाव पड़ा। स्व–सम्मान का प्रभाव तथा इसका मुख्य उद्देश्य विवाह की रस्म रिवाजों में ब्राह्मणों के प्रभाव को हटाना, अंतर्जातीय विवाह कराना इत्यादि महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार समाज में परिवर्तन होता गया। पेरियार के कहने के अनुसार सरकार के द्वारा 1968 में एक आदेश लागू किया गया कि किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी भी देवी–देवता की तस्वीर नहीं टांगी जाएगी। सन् 1972 को आत्मसम्मान की सभा मद्रास में हुई जिसमें इस आदेश को शक्ति से लागू किया जाए। इसमें प्रस्ताव पास किया गया। 1970 में डी.एम.के. सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि गुण–कर्म के आधार पर किसी भी जाति का व्यक्ति पुरोहित बन सकता है। ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया तथा वे कोर्ट में भी गए तथा उच्चतम न्यायालय गए। उच्चतम न्यायालय में कहा कि पूजा विधि में आगम नियमों का उल्लंघन न हो। पेरियार ने इसका कड़ा विरोध किया था। 1971 से अछूतों को पुरोहितों का प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। ऐसा केरल में कार्यक्रम चल रहा है। •

बने। रामास्वामी को इरादे नगर पालिका का चेयरमैन बनाया गया। रामास्वामी ने 1949 में 72 वर्ष की आयु में अपनी निजी सचिव जिसकी आयु 30 वर्ष थी, मुनियाभाई से शादी कर ली थी। असमान उम्र होने के कारण एक विवाद उठ खड़ा हुआ था। द्रविड़ कड़गम में भी फूट पड़ गई जिससे अन्नादोराई के नेतृत्व में दूसरी पार्टी 'डी.एम.के.' बन गई। मद्रास के बेतोरा क्रिश्चियन अस्पताल में 25 दिसंबर 1973 को बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी।

रामास्वामी की गतिविधियां सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में फैल गई थी। पेरियार ने अपने जीवन के 50 वर्ष सार्वजनिक कार्यों में लगाए थे। उनका मुख्य उद्देश्य समाज के ऐसे व्यक्तियों की सेवा करना था जो गरीब है, शोषित हैं। वे सदैव सोचते थे कि सामाजिक न्याय, समानता और व्यक्तित्व के विकास के लिए शोषितों को समुचित अवसर प्राप्त हो। राजनैतिक स्तर पर पेरियार के मतभेद उभरते रहे लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा, जिससे उनकी आवश्यकता तथा उनका महत्व बढ़ता ही रहा, जो सर्वमान्य हैं।

उस समय तमिलनाडु में सामाजिक आधार पर, असमानता पर आधारित वर्ण–व्यवस्था थी, परन्तु जनसंख्या का विभाजन वहां पर भी था। लेकिन धीरे–धीरे वर्ण व्यवस्था का आधार की जनसंख्या अधिक होने के कारण कभी–कभी भ्रष्टाचार के मामले भी अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते थे। जिससे अंग्रेजी सरकार के अधिकारी भी परेशान होते थे। सरकार (राजस्व बोर्ड) ने 1854 में एक प्रस्ताव के अनुसार सरकारी नौकरियों में अन्य जाति के लोगों का भी प्रावधान रखा गया, जो पास हो गया। परन्तु इससे भी विशेष लाभ नहीं हुआ। रामास्वामी ने उत्तरी भारत की यात्रा की, वे वाराणसी पहुंचे। वहां उन्होंने करीब से देखकर निष्कर्ष निकाला कि वाराणसी अन्य नगरों से अधिक पवित्र नहीं है। वहां के पंडे–पुजारी भी उच्च चरित्रवान एवं अनुकरणीय भी नहीं है। अतः निष्कर्ष निकाला कि उत्तरी व दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का रूप मिला जुला है।

तमिलनाडु प्रांतीय कांग्रेस में गैर ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में तथा विधानसभा में स्थान सुरक्षित कराने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, परन्तु पुरजोर कोशिशों के बावजूद भी प्रस्ताव पास करने में असफल रहे। जिससे दुखी होकर 1925 में उन्होंने कांग्रेस को सदा के लिए छोड़ दिया तथा स्व–सम्मान आंदोलन की शुरुआत कर दी।

रामास्वामी जी के 'स्व–सम्मान आंदोलन' का मुख्य उद्देश्य था आर्यों के प्रतीक ब्राह्मणी धर्म के प्रति लोगों में विरोध उत्पन्न करना, तमिल भाषा, साहित्य एवं संस्कृति में स्वाभिमान ईश्वरवाद से ही आडंबरवाद, वर्णवाद, जातिवाद तथा धर्मवाद को बढ़ावा मिलता है।

2. यह ब्राह्मणवाद को समाप्त करके, समाज में समता लाने का प्रयास करता है। ब्राह्मणवाद ही छुआछूत व जाति व्यवस्था की जड़ है।

3. यह आंदोलन वेद, पुराण तथा मनु कानून को केवल पापों की कहानी मात्र मानना है।

4. यह आंदोलन विद्वानों और राजनीतिज्ञों के गत 60 वर्षों के विचारों दृष्टिकोणों तथा गतिविधियों का स्वाभाविक फल है।

5. इसमें आट का काल्डवेल, नेलसन ग्रैंट–डक तथा सुंदर पिलाई के नश्न संबंधी सिद्धांत घुल मिले हैं।

6. द्रविड़वाद को इससे नया व व्यापक आकर्षण मिला है।

7. धन और रूढ़िवादी धर्म के बंधन इसके प्रचार में रूकावट नहीं बन पाए और अपने सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसके नेता और कार्यकर्ता उत्तेजनापूर्ण तकनीक का उपयोग करने के लिए सदा तत्पर रहे हैं।

8. उत्तर भारत की तुलना में तमिल संस्कृति और तमिलनाडु राज्य को नया और महत्वपूर्ण स्थान देना, इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है।

9. इसमें एक सशक्त विरोधी भावना विद्यमान है।

उपाधियों को त्याग देंगे तथा स्वतंत्र द्रविड़ राज्य की स्थापना करेंगे।

बुद्धिवाद : पेरियार ब्राह्मवाद तथा ईश्वरवाद के स्थान पर बुद्धिवाद की स्थापना करना चाहते थे तथा उनके आंदोलन का मुख्य अंग बुद्धिवाद ही था। उन्होंने इस संदर्भ में कई स्थानों पर बुद्धिवादी समितियां तथा विचार मंचों का गठन भी किया था। अंधविश्वास निर्मूलन सम्मेलन का भी आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि विकास प्रगति–बुद्धिवाद का ही कारण है। पेरियार ने कहा कि बुद्धिवाद 150 वर्षों से ही क्रियाशील है। अगर यह 2000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो गया होता तो आज विश्व का कुछ और ही नक्शा होता। शिक्षा का विकास बुद्धिवाद से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की पूजा, धर्म का परिपालन और शासकों के दृष्टिकोण को शिक्षण संस्थाओं से दूर ही रखना चाहिए। बुद्धिवाद के ही द्वारा अंधविश्वास व अज्ञानता पर विजय मिल सकती है। न्याय तथा नैतिकता को सुधारने में यह सफल हो सकता है। धर्म, विश्वास तथा शोषण बुद्धिवाद के न होने से ही पनपता है। धर्म अंधविश्वास और भय एक साथ दलितों का शोषण करता है। धर्म मनुष्य को कायर व सुस्त बनाता है। बुद्धिवाद, अनिश्चयवाद व अनिश्चरवाद मानव को आजाद करता है।

प्रभाव : पेरियार के आंदोलन का धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और

क्या हुआ?

मेरे लोग, आज भी, गुलाम हैं
बेगार ढोते हैं,
गुलामी करते हैं समाज में
समृद्ध जनों की
कुछ धनसम्पन्न हो गये तो क्या हुआ?
मेरे लोग, आज भी चौबीस घंटे
तामीरदारी करने के बावजूद
एक जून भूखे सोते हैं
उनके बच्चे,
कुपोषण के शिकार हुए
भूखे मरते हैं, वे बिना दवादारू के
जवानी में ही चल बसते हैं
कुछ के पेट भर गये तो क्या हुआ?
मेरे बच्चे, बचपन में ही
झोंक दिये जाते हैं,
कारखाने–फैक्टरियों में
या फिर, होटल, ढाबे,
चाय की दुकान में काम करने को
पेट की आग बुझाने को, अपनी
और अपने परिवार के लोगों की
इनमें कुछ प्राइमरी तक पढ़ गये तो
क्या हुआ?
हम समाज की नींव हैं
अर्थ–व्यवस्था की रीढ़ हैं
देश के आधार हैं
फिर भी बेकार हैं, लाचार हैं
सभी हमें ही रोंदते हैं,
सभी हमें ही नोचते हैं
समाज से भी दुत्कार है,
धर्म से भी लताड़ है
फिर भी कुछ आगे बढ़ गये तो
क्या हुआ?

– डॉ. सुमनाक्षर

हिमायती
4 / अप्रैल (द्वितीय), 2019 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 16-17 अप्रैल, 2019

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 14 अप्रैल, 2019

पृष्ठ 1 का शेष....दलितों के हृदय सम्राट–बाबा साहब और बाबूजी

मात्र दलितों की नियुक्ति की।

उन्होंने दलितों के लिए मन्दिरों के दरवाजे खुलवा दिये थे। बाबू जी ने देश से छुआछूत व सामाजिक अन्याय की दीवारें तोड़ने के लिए कठिन संघर्ष किया। उन्होंने अपने कार्यों से सिद्ध कर दिया कि दलित किसी अन्य जातियों से किसी प्रकार योग्यता में कम नहीं हैं। वे देश में दलितों की आवाज थे। मन व मस्तिष्क से पूर्ण रूप से वे दलितों के लिए समर्पित थे। दलितोत्थान ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था वे दलित लेखकों और पत्रकारों को प्रोत्साहित करते थे। दलितों में अपने मानवीय अधिकारों के प्रति चेतना जाग्रत करने और अमानवीय सामाजिक विषमताओं का प्रतिकार करने का ज्ञान देने के लिए 8 अगस्त, 1984 को भारतीय दलित साहित्य अकादमी की स्थापना की थी जो 32 वर्ष से उनकी प्रेरणा से दलितों में चेतना जाग्रत करके उनमें स्वाभिमान जगा रही है।

बाबू जी दलितों के मसीहा थे। उनके ओजस्वी विचार दलितों के लिए आज भी मार्गदर्शक बने हुए हैं जो कहते थे–**'जीना है तो मरना सीखो।' समता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।**

बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर

बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के लिए चेतना जाग्रत करने के लिए मूक नायक, समता, सत्ता, बहिष्कृत भारत नाम से मराठी में समाचार पत्र प्रकाशित किए। दलितों को पानी पर सार्वजनिक अधिकार दिलाने के लिए 20 मार्च, 1927 को महाड़ के चोबदार तालाब को खुलवाने के लिए आन्दोलन किया और उसे अछूतों के लिए खुलवाया। उन्होंने नाशिक के कालाराम मन्दिर के कपाट अछूतों (दलितों) के लिए खुलवाने हेतु 2 मार्च, 1930 से आन्दोलन शुरू किया जो 5 साल बाद मन्दिर को सार्वजनिक रूप से खोलने के बाद खत्म हुआ। उन्होंने 25 दिसम्बर, 1930 को वर्ण व्यवस्था की जननी 'मनुस्मृति' की होली जलाई।

इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को सामाजिक विषमता व अमानवीय व्यवहार के खिलाफ संघर्ष करना सिखाया और अपने मानवीय अधिकार कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं, इसके लिए मार्ग प्रशस्त किया।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने दलितों को समता के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने 'मांग पत्र' रखा और दलित प्रतिनिधि के रूप में लन्दन की 'राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस' में अंग्रेज शासकों के सामने भारत में दलितों की दुर्दशा का दिग्दर्शन कराते हुए उन्हें भी सवर्ण समाज के समान सामाजिक, भयानकता और दलितों के खून खराबे को देखते हुए 'कम्युनल अवार्ड' लौटाने की घोषणा कर दी। इससे गांधी जी का अनशन खत्म होने पर दलितों के उत्थान के लिए गांधी जी व बाबा साहब डा. अम्बेडकर के बीच 24 सितम्बर, 1932 को एक समझौता हुआ जिसे 'पूना पैक्ट' का नाम दिया गया। इस पूना पैक्ट के अन्तर्गत अछूतों को सवर्णों के समान एक वोट का अधिकार, उनकी आबादी के अनुपात में निर्वाचन में आरक्षित सीटों का कोटा देना तय हुआ। बाबा साहब डा. अम्बेडकर इस 'पूना पैक्ट' करारनामे को दलितों के साथ धोखे का करारनामा मानते थे जिसे गांधी जी ने 'आमरण अनशन' के दबाव में उनसे जबरदस्ती मनवाकर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। इसका जवाब देने के लिए बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने येवला की दलितों की महासभा में 13 अक्तूबर, 1935 को हिन्दू धर्म छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा–''हिन्दू धर्म में पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, पर हिन्दू धर्म में रहकर नहीं मरना मेरे हाथ में है।'' और अपनी इस घोषणा को उन्होंने 14 अक्तूबर, 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर पूरा किया।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने अंग्रेजी बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए 'एक वोट' के अधिकार का प्रावधान रखा, इसके अलावा देश के अछूत–दलितों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में निर्वाचन में आरक्षण कोटे का प्रावधान रखा, उनके लिए सरकारी नौकरियां तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण कोटे की सुविधा को तब तक बनाये रखने का प्रावधान रखा जब तक वे समाज में सवर्ण समाज की बराबरी पर न आ जायें। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का संविधान में दण्डनीय करार देते हुए जाति, धर्म, लिंग, भेद के खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, व बन्धुता व न्याय का मौलिक अधिकार का प्रावधान रखा। उन्होंने एक ही झटके में मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था को धराशायी करते हुए, महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए 5 फरवरी, 1951 को संसद में 'हिन्दू कोड बिल' का प्रस्ताव रखा, जिसका ब्राह्मणवादी हिन्दू नेताओं के विरोध होने पर यह पास नहीं हो सका। इसे अपना अपमान मानते हुए बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। अब वही बिल टुकड़ों– टुकड़ों में सरकार पारित कर रही है। बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने सदियों से अपमानित, अधिकार विहीन दलितों को संवैधानिक समता के मौलिक अधिकार दिलवाये और उन्होंने 'बुद्ध धर्म' जैसा समतावादी धर्म, व 'बुद्धा एंड हिज धम्मा' जैसा ग्रन्थ देकर वे 6 दिसम्बर, 1956 को हमारे बीच से चले गये, पर उनका दिया यह मूलमंत्र आज भी हमें आलोकित कर रहा है–शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो।' दलितों के हृदय सम्राट दोनों नेता आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनका मार्गदर्शन आज भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। •

हिमायती
हिन्दी पाक्षिक पत्र
अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–
सम्पादक :
हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन-1, दिल्ली-9
मो. 9810278936,
फोन : 011-27421449

को अछूत जाति का होने के कारण बचपन से ही अपमान, तिरस्कार, बेइज्जत और अन्याय झेलना पड़ा। घर, समाज, स्कूल, दफ्तर–सब जगह पर उनके साथ छुआछूत, भेदभाव, अमानवीय व्यवहार किया गया। इससे बालक भीमराव अम्बेडकर के मन में हिन्दू वर्ण व्यवस्था से सख्त नफरत पैदा हो गई थी। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने देश–विदेश में सर्वोच्च शिक्षा ली। उन्होंने डी.एस.सी. डिग्री लन्दन विश्वविद्यालय से, पी.एच.डी. व एल.एल.डी. डिग्रियां कोलम्बिया यूनीवर्सिटी से, डी.लिट् उस्मानिया यूनीवर्सिटी से तथा बार–एट–लॉ की डिग्री लंदन यूनिवर्सिटी से हासिल की।

अपनी सर्वोच्च शिक्षा प्राप्ति के साथ–साथ डा. अम्बेडकर ने दलितों को छुआछूत और गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए दो तरफा लड़ाई शुरू की, एक ओर उन्होंने वर्णव्यवस्था, जात–पांत, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ हिन्दू समाज व हिन्दू धर्म के खिलाफ आन्दोलन शुरू किया, वहीं अछूतों (दलितों) को राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक अधिकार दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने अछूतों (दलितों) में अपने मानवीय अधिकारों राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक अधिकार दिये जाने की जोरदार मांग की। अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए भारत के अछूतों के लिए 'कम्युनल अवार्ड' की घोषणा की जिसके अन्तर्गत दलितों को निर्वाचन में दो वोट का अधिकार दिया गया। एक वोट से वह अपना दलित– नुमायन्दा तथा दूसरे वोट से वे सवर्ण नुमायन्दा चुन सकते थे। इसके अलावा अछूत–दलितों की आबादी के प्रतिशत के हिसाब से उनके लिए निर्वाचन में सीटें और निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित कोटे की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी को दलितों को मिला 'दो' वोट का अधिकार मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि इससे हिन्दू धर्म व हिन्दू समाज का विघटन हो जायेगा। इसीलिए उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में, जहां वह बन्द थे, अछूतों को अंग्रेजी सरकार द्वारा मिले इन अधिकारों के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। बाबा साहब डा. अम्बेडकर पर हिन्दू नेताओं का गांधी जी के प्राण बचाने के लिए दबाव पड़ने लगा। उधर सवर्ण हिन्दुओं ने दलितों को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर गांधी जी मर गये तो उन सबका कत्लेआम कर दिया जायेगा। बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने समय की सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप भारत देश को आजाद कर चले जाओगे, पर आप जिन हिन्दू नेताओं को देश सौंप जाओगे, उनकी गुलामी से हमें कौन आजाद करायेगा? अंग्रेजी हुकूमत शुरू से ही डा. अम्बेडकर की प्रतिमा, कार्यक्षमता, कुशल नेतृत्व से प्रभावित थी और उन्हें अछूतों का एकमात्र प्रतिनिधि मानती थी। इसलिए डा. अम्बेडकर को उन्होंने 1942 में वायसराय कौंसिल में श्रम सदस्य मनोनीत किया था ,जहां 1946 तक श्रम सदस्य रहते हुए उन्होंने मजदूरों के लिए कानून बनवाये, उनके लिए साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान कराया और उनके कार्य का समय 8 घन्टे निर्धारित किया।

भारत के आजाद होने पर पं. जवाहर लाल नेहरू के प्रथम मंत्रिमण्डल में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। भारतीय संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी जब उन्हें दी गई तो उन्होंने दिन रात अथक परिश्रम करके भारतीय संविधान का निर्माण किया और जिसे संविधान सभा में 24 नवम्बर, 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद को सौंपा जिसे देश में 26 जनवरी, 1950 को लागू किया और उसी दिन से भारत लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी राष्ट्र बना। इस भारतीय संविधान में

बाबा साहब ने बदला मनु विधान था

अनपढ़ था तू गुलाम था,
कहने को भारत की आवाम था।
जानवरों जैसा था जीवन तेरा,
जब लागू मनु का विधान था।
दलित, शूद्र
ये नाम थे तेरे,
गले में हांडी,
पिछवाड़े पे झाड़ू
ये सब थे आभूषण तेरे
जी रहा था तू
पर असल में बेजान था।
अनपढ़ था तू गुलाम था
औरत (बहन बेटी) न थी सुरक्षित,
ऊंची जाति के मनुवादी ही थे
तेरे भक्षित
जागीर अपनी बना रखा था
औरत बेचारी को,
पूजता था तू भी मजबूरी में,
मनु बलात्कारी को
शिक्षा से वंचित था तू
हकों से अंजान था
अनपढ़ था तू गुलाम था।
तब मसीहा एक जन्मा था
शिक्षा की अलख जगाई थी
मनु ने जो बांधी थीं
बेड़ियां तेरे पांव में,
वो सब उसने तोड़ भगाई थी।
साहब ने बदला मनु का विधान था।
पाकर शिक्षा ऊंची से ऊंची
लिखा भारत का संविधान था।
दिलाया हक गरीब मजदूर को,
बचाया मनुवादियों से बेकसूरों को,
औरत को दिलाई इज्जत थी
जो मनु के विधान में बेइज्जत थीं।
पुरुष के बराबर दिया खड़ा
रूतबा सब समाज में है उसका बड़ा
तब कोई गर हाथ डाले इज्जत पे,
पकड़ा उसका गिरेबान था।
दिलाया जिसने ये हक जीने का,
वो है बाबा साहब हमारे
जाते–जाते हम सब के लिए,
खोले शिक्षा के द्वारे।
अब भी संभल भोले मूलनिवासी
शिक्षा है जब सुखों की चाबी
तेरे आगे न जालिम अड़ पाएगा
अगर तू इतिहास पूरा पढ़ पाएगा।
बिना शिक्षा के तू बेजान था,
अनपढ़ था तु गुलाम था।

– वीरेन्द्र रविदासिया

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009